न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–14.11.19

मि.न.–110/2019

सरकार बनाम रामनाथ
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 390/0.16 है 0किस्म जमीन बारानी –1 मेंसे 0.05है0 पर रामनाथ पुत्र हेमा जाति गुर्जर निवासी पूरण नंगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है। अतः गैरसायल रामनाथ पुत्र हेमा जाति गुर्जर निवासी पूरण नंगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 390/0.16 किस्म जमीन आरानी –1 मेंसे 0.05 है0 पर जोत लगाकर अतिकमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमीं के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिकमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः रामनाथ पुत्र हेमा जाति गुर्जर निवाासी पूरण नगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0390/0.16 किस्म जमीन बा.–1 मेंसे 0.05है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 1.50रू का पचास गुणा 75 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14.11.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

19-20 ... 52 ... 75

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली